

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल ढढेरू भाभुवान  
प्रार्थी.....

बनाम

धन्नेसिंह पुत्र मेघसिंह वगैरह जाति राजपुत नि. ढढेरू भाभुवान  
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 07.01.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल ढढेरू भाभुवान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी धन्नेसिंह पुत्र मेघसिंह वगैरह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भाभुवान ने रोही ग्राम ढढेरू भाभुवान के खसरा नं. 305 किस्म गै. मु. रास्ता रकबा 14.06 बीघा भूमि में से 0.09 बीघा भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया एवं भु.अ.निरीक्षक बीदासर को कुर्की आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी नीयत तारीख पेशी दिनांक 07.09.2018 को अनुपस्थित रहा इसलिए पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया गया। भु. अ. निरीक्षक बीदासर ने अपनी कुर्की रिपोर्ट में बताया कि अप्रार्थी द्वारा रास्ते पर काश्त की गई फसल नष्ट हो चुकी है तथा कुर्की किया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल ढढेरू भाभुवान के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण धन्नेसिंह पुत्र मेघसिंह वगैरह जाति राजपुत नि. ढढेरू भाभुवान ने रोही ग्राम ढढेरू भाभुवान के खसरा नं. 305 किस्म गै. मु. रास्ता रकबा 14.06 बीघा भूमि में से 0.09 बीघा भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और भू0अ0 निरीक्षक बीदासर को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी पटवार हल्का ढढेरू भाभुवान को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थीगण से शरह पड़ता लगान ग्राम ढढेरू भाभुवान 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 0.10 बीघा की राशि 05/- पाँच रूपये वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पृष्ठ संख्या 9  
पर कर ली गई है।

तहसील राजस्व लेखाकार  
बीदासर

(ओमप्रकाश वर्मा)  
आरटीएस  
तहसीलदार बीदासर